**विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-17 का उत्तर।**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 17 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि परगना व तहसील चायल जनपद-कौशाम्बी के निवासियों की राजस्व संबंधी समस्या का समाधान कराये जाने हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2024 जो कि प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? | जी हाँ। |
| (ख) यदि हॉ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? | जिलाधिकारी कौशाम्बी द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रकरण गाटा सं0-973 भूमिधरी भूमि के विवाद से सम्बन्धित है। गाटा सं0-973 एक मिनजुमला गाटा है, जो तीन खातों में विभक्त है। खाता सं0-557/0.1370 पर नत्थू, शारदा पुत्रगण भिम्मा व सूरजपाल पुत्र छेदीलाल निवासी ग्राम, खाता क्रमांक-676/0.023हे0 पर बच्चा पुत्र बोडी निवासी ग्राम व खाता क्रमांक 1682/0.028हे0 पर श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी शारदा प्रसाद निवासी ग्राम, मन्जू देवी पत्नी मानिक चन्द्र नि0 पन्नोई, हा0मु0 चरवा एवं शिवलोचन व चन्द्रलोचन यादव पुत्रगण धुन्धकारी यादव निवासी चरवा उ0 थोक के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, किन्तु  आकार पत्र 41 व 45 में उक्त गाटा चार खातों में विभक्त है, जिसमें खाता क्रमांक 552/0-9-10 पर महावीर प्रसाद, रमेसर प्रसाद, जगदीश प्रसाद, शत्रुघ्न प्रसाद, बैजनाथ प्रसाद व मनमोहन पुत्रगण सूरजनरायन व खाता क्रमांक 613/0-3-5 पर उदित नरायन पुत्र केदार नाथ निवासी सझिया व 1053/0-14-0 पर भिम्मा पुत्र छंगू व झल्लर पुत्र कालीदीन नि0 ग्राम व खाता क्रमांक 1629/0-3-5 पर महावीर प्रसाद, रमेसर प्रसाद, जगदीश प्रसाद, शत्रुघ्न प्रसाद, बैजनाथ प्रसाद व मनमोहन पुत्रगण जगदीश नरायन के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। वर्तमान खतौनी में आकार पत्र 41 व 45 के अनुसार खाता क्रमांक 552/0-9-10 व 1629/0-3-5 मतरूक है। वर्तमान समय में गाटा सं0-973/0.342हे0 के लगभग 0.0787हे0 क्षेत्रफल पर भरवारी से मनौरी पिचमार्ग निर्मित है। सड़क |

निर्मित क्षेत्रफल समपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 23 प्रतिशत है स्थलीय निरीक्षण में गाटा सं0-973 दो भागों में विभक्त पाया गया। एक भाग भरवारी मनौरी पिचमार्ग के उत्तर व एक भाग दक्षिण की ओर स्थित है। सड़क की ओर आ0प0 41 व 45 के अनुसार खाता क्रमांक-1053 व 557 के काश्तकार नत्थू आदि मकान निर्माण कर अथवा कृषि कार्य कर काबिज दाखिल हैं। इसी गाटे के बैनामेदार (खाता क्रमांक 676/0.023हे0) बच्चा पुत्र बोडी का कब्जा दखल नहीं पाया गया। पिचमार्ग के दक्षिण आ0प0 41 व 45 के खाता क्रमांक 552/0-9-10 व 1629/0-3-05 के बैनामेदारों को कब्जा दखल पाया गया। बैनामेदारों श्रीमती मन्जू व चन्द्रलोचन व राधेश्याम आदि का आपस में कब्जे को लेकर विवाद है। उभयपक्ष विवादित भूखण्ड को अपना-अपना बताकर विवाद करते रहते हैं, जिसके सम्बन्ध में सिविल न्यायालय जज (वरिष्ठ श्रेणी) कौशाम्बी में वाद सं0-144, रामकेश कुशवाहा आदि बनाम मन्जू देवी आदि विचाराधीन है। इसी भूमि विवाद के सम्बन्ध में एक अन्य वाद न्यायालय न्यायाधिकारी, सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) ग्राम न्यायालय, चायल, कौशाम्बी के न्यायालय में वाद सं0-22/2024 चन्द्रलोचन आदि बनाम बृजेश कुमार आदि भी विचाराधीन है। उक्त वादों के न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में प्रशासनिक हस्तक्षेप किया जाना समीचीन नहीं है।

(ग) क्या, उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

उपर्युक्तानुसार।

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0।